(2)

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बी0बी0सी0 अपील वाद सं0–02/2008–09

बलिराम सिंह बनाम राम बाबु साह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
14-12-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील बलिराम सिंह, पिता–राम चरित्र सिंह, ग्राम–राम गिरी, थाना–लवरचक, जिला–बेगुसराय, वर्तमान पता–मंगल भवन होटल, महल्ला–सब्जीबाग, पो0–बांकीपुर, थाना–पीरबहोर, पटना द्वारा गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के बी0बी0सी0 वाद सं0–56/05 बलिराम सिंह बनाम राम बाबु साह में दिनांक–16.01.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0बी0सी0 एक्ट की धारा–24 के अंतर्गत अपील दायर किया। अभिलेख अवलोकन किया गया। दिनांक–14.03.2014 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक–03.07.2014 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त। नोटिस बिना तामिला वापस। अपीलकर्ता द्वारा निबंधित डाक से नोटिस निर्गत के लिए अनुरोध किया गया। दिनांक–12.03.2015 को विपक्षी सं0–02 की हाजरी पड़ी। विपक्षी सं0–01 पर प्रेस विज्ञप्ति द्वारा नोटिस निर्गत का आदेश दिया गया। दिनांक–14.12.2018 को अपीलकर्ता उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख परिशीलन किया एवं अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक–16.01.2008 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी राम बाबु साह के द्वारा अवर न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में निष्कासन सूट सं0–06/06 लाया गया जिसमें विपक्षी सं0 1 शालीग्राम सिंह किरायेदार मानकर किराया भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि बलिराम सिंह प्रश्नगत भवन के किरायेदार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी –सह– गृह नियंत्रक, पटना सदर के आदेश दिनांक–16.01.08 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अपीलवाद अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 14/12/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 14/12/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	

E:\D M Court\Oder DM BBC-.doc